प्रकरण सं...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मय्या व तामील अहकाम की इस हुक्म की तामील में आई

तारीख हुक्म

14/12/2020

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रार्थीया हरवीर कौर की ओर से राकेश सिहाग अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अधिवक्ता/प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अनुरोध किया कि प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का है तथा आवेदक के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। अतः आवेदक को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विन्दु पर सुना गया। आवेदक का कथन है कि आवेदकगण के हक हिस्सा की आराजी विरासतन भूमि है एव आवेदक अनावेदक की एकमात्र सन्तान है , अनावेदक आराजी को बेचान करने पर आमादा है एव अगर अनावेदक को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता है तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः अनावेदकगण को रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र की अत्यावश्कता को देखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादाधीन चक 12 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 46/46 प.न.0 मु.न. 11 कि.न. 1/1 ता 16/2 में 3.822 है. नहरी, 0.125 है. गै.मु. रास्ता कुल खाता 3.947 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.974 है. आराजी की आगामी पेशी दिनांक 07.01.2021 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थीगण को 24 घण्टे के अन्दर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावें जिसके लिए प्रार्थी के अधिवक्ता रजिस्टर्ड एडी की रसीद आइन्दा तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावे। अप्रार्थीगण के उपस्थित होनें पर प्रार्थी के अधिवक्ता बहस करनें हेतु बाध्य होगे यदि बहस नहीं की जाती है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07.01.2021 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

(हवाई सिह यादव)
उपखण्ड़ अधिकारी
सादुलशहर

07/01/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में Not press का अंकन किया गया। वकील प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र आगे नही चलाना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया इसी स्टेप पर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा भी इसी स्टेप पर खारिज की जाती है।

Scanned with CamScanner